

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 1597 /जीएस.
दिनांक 04/8/ 2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००५/६७११-१२ दिनांक २०.६.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंस, गाजियाबाद को १. इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (६० सीट) २. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग (१२० सीट) ३. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी० (१२० सीट) ४. एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी० (६० सीट) ५. मेकेनिकल इंजीनियरिंग (६० सीट) की प्रवेश क्षमता हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सत्र २००५-०६ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था दिनांक १.७.२००५ से आगामी तीन माह की अवधि के अन्दर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं निरीक्षण मण्डल/शासन द्वारा दर्शित कमियों को अनिवार्यतः पूर्ण कर लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहें। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली
४. निदेशक एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंस, १६ कि०मी०स्टोन, दिल्ली हापुड बाईपास रोड, एन-एच, गाजियाबाद

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव